Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 226)

अज अदालत – अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, अजमेर (राज.)

एजाज शेरवानी बनाम गेनी व अन्य

किस्म मुकदमा – दीवानी वाद नम्बर 167 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
15-09-2023	वकुलाय पक्षकारान् उपस्थित। इस आदेश के द्वारा प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना अंतर्गत आदेश 13 नियम 10 सपठित धारा 151व्य प्र सं. का निस्तारण किया जा रहा है। बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/वादी के उक्त प्रार्थना-पत्र में मुख्यतः कथन किया गया है कि उक्त वाद न्यायालय के समक्ष संविदा की विनिर्दिष्ट पालना व आज्ञापक व स्थाई निषेधाज्ञा के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी द्वारा वाद पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रारम्भिक रूप से मियाद के संबंध में आपत्ति कर एक अर्जी अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 के तहत प्रस्तुत की गई। न्यायालय द्वारा उक्त आपत्तियों के संदर्भ में प्रारम्भिक विवाद बिन्दू की विरचना कर दोनों पक्षों के साथ प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त संबंध में वादी द्वारा अपना शपथ पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। प्रतिवादी व उनके सह-हिस्सेदारान के मध्य चल रहे विवादों का वर्णन करते हुये एक फौजदारी मुकदमा संख्या - 1695/15 विचाराधीन रहा, जिसमें परिवादी छगन सिंह द्वारा जमीन से संबंधित झगड़ा फसाद होने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, एंव उक्त मुकदा दि. 13-03-2018 को निर्णित कर न्यायिक मजि० संख्या-5 द्वारा दोषसिद्धी घोषित की गई एवं इसके अलावा एक राजस्व बाद संख्या-64/2007 कैलाश बनाम गेनी में प्रतिवादी व उसके सहहिस्सेदारो के मध्य उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत हुआ, उक्त वाद दिनांक 26-05-2011 को बगैर निर्णय के अदम हाजरी मे खारिज हो गया, इसके अलावा प्रतिवादी व उसके सह-हिस्सेदारो के मध्य एक राजस्व वाद 29 / 2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष लक्ष्मी देवी व अन्य बनाम श्रीमति गैनी व अन्य के उन्वान से बॅटवारे हेतु विचाराधीन है, जिसमे आगामी तारिख पेशी दिनांक 21-07-2023 नियत है। उक्त वाद विवादो से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण व उनके सह–हिस्सेदारो के मध्य भूमि विवाद नही सुलझने के कारण उक्त वादाधीन भूमि के विक्रय विलेख का निष्पादन व पंजियन समय पर नही हो सका जबकि प्रतिवादीगण द्वारा संविदाधीन निष्पादित इकरारनामा मे स्पष्ट रूप से अंकित करवाया कि भूमि के संबंध मे समस्त वाद विवादो के निस्तार की समस्त जिम्मेदारी उनकी होगी, एंव उक्त विवाद	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –2–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	निस्तारित नही होने तक इकरारनामा की समयावधि स्वतः बढी समझी जावेगी। ऐसी स्थिति मे उपरोक्त प्रतिवादीगण को मियाद संबंधी आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं रहा, किन्तु न्यायालय के आदेशानुसार उक्त विवाद बिन्दु कायम किये जाने से उपरोक्त पत्रावलियो को साक्ष्य हेतु तलब किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त पत्रावलियो से ही वास्तविक व सही स्थिति न्यायालय के समक्ष उपलब्ध हो सकेगी वही साक्ष्य के लिये भी सुसंगत होगी। वादी द्वारा उपरोक्त पत्रावलियो के संबंध में उनकी प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त करने के प्रयास किये किन्तु उक्त वादी उनमे पक्षकार नही होने के कारण उपरोक्त मुकदमा व राजस्व वाद की नकले प्राप्त नहीं हो सकी। ऐसी स्थिति मे उपरोक्त फौजदारी मुकदमा व राजस्व वादो की पत्रावलियो को संबंधित न्यायालयो से तलब किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। ऐसी स्थिति मे उपरोक्त पत्रावलिया तलब किया जाने का निवेदन किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र का कोई अप्रार्थी/प्रतिवादी की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। बहस सुनी गई, उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/वादी के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रतिवादी व उसके सहहिस्सेदारान् के मध्य चले मुकदमों व राजस्व वाद की पत्राविलयों को संबंधित न्यायालय से तलब करना चाहा है एवं दौराने बहस उनका मुख्यतः कथन रहा है कि बावजूद प्रयासों के उन्हें उक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त नहीं हुई है इस परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया जाऐं तो प्रार्थना पत्र के साथ ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो यह दर्शाता हों कि उनके द्वारा प्रतिवादी व उसके सह हिस्सेदारान के मध्य चले मुकदमों व राजस्व वाद की प्रतियां प्राप्त करने के प्रयास किये गये हों एवं जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया हों। यहाँ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ उक्त मुकदमों व राजस्व वादों की छायां प्रतियां प्रस्तुत की गई है तो निश्चित रूप से जिन भी स्त्रोतों से उनके द्वारा छाया प्रतियां प्राप्त की गई है, वे उन्हीं के तहत प्रतिवादी व उसके सह हिस्सेदारान के मध्य चले मुकदमों व राजस्व वादों की प्रमाणित प्रतियां भी प्राप्त कर सकते थे। प्रकरण वर्तमान में वर्ष 2021 से वादी की प्राथमिक तनकी की साक्ष्य में लगभग 14 अवसर ले लिये जाने के पश्चात् हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो निश्चित रूप से मात्र प्रकरण को देरीना करने के आशय से ही प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में प्रार्थी/वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 सी पी सी का प्रस्तुत किया गया था, तत्समय भी वे उक्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज –3–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	दस्तावेजात को तलब करने अथवा रिकॉर्ड पर लेने की प्रार्थना कर सकते थे, परन्तु उनकी ओर से ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की गई है यह दर्शित होता है कि प्रकरण को मात्र देरीना करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थित में प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र इस प्रक्रम पर अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। वादी पक्ष प्राथमिक तनकी हेतु अपनी साक्ष्य आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से उपस्थित रखें, आइंदा अवसर नहीं दिया जाऐगा। पत्रावली वास्ते उक्तानुसार दि..... को पेश हों। अपर जिला न्यायाधीश, क्रम–1, अजमेर।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज —4—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए